

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1152

पीएस मामला सं.-182 वर्ष-2021 थाना-अदापुर, जिला-पूर्वी चंपारण, से उत्पन्न

=====

अनिल कुमार पांडे, पुत्र-स्वर्गीय सुरेंद्र पांडे, निवासी- गाँव-घोरासाहन, थाना-हरपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सुभम अंसारी, पुत्र-कारी मियां, निवासी- गाँव-घोरासाहन, जिला- पूर्वी चंपारण।
3. सतेंद्र महतो उर्फ सतेंद्र कुशवाहा, पुत्र-सरफदेव महतो, निवासी- गाँव-घोरासाहन, जिला- पूर्वी चंपारण।
4. निरोध मियां उर्फ नूर होदा, पुत्र-साहेब जान अंसारी, निवासी- गाँव-घोरासाहन, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री बिनय कुमार, अधिवक्ता
मुखबिरों के अधिवक्ता	:	श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सत्य नारायण प्रसाद, एपीपी

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

• भारतीय दंड संहिता की धारा 364(ए), 302, 201, 120(बी)/34

संदर्भित मामले:

- हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य की रिपोर्ट ए आई आर 1952 एससीसी 343 में दी गई
- शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य की रिपोर्ट 1984 ए आई आर 162 में दी गई

• एच.डी. सुंदरा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 9 एससीसी 581 में रिपोर्ट किया गया

अपील- भारतीय दंड संहिता की धारा 364(क), 302, 201, 120(ख)/34 के तहत आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्तों को बरी करने वाले निर्णय के विरुद्ध दायर की गई।

निर्णय: किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह ने यह नहीं कहा कि अपहृत सूचना प्रदाता के बच्चे को किसी स्थान पर रोका गया था। रिकॉर्ड में यह भी नहीं आया कि किसी आरोपी द्वारा सूचना प्रदाता या उसके परिवार से फिरौती की कोई मांग की गई थी। (पैरा 27)

अभियुक्तों और मृतक के परिवार के बीच कोई शत्रुता नहीं थी, और मृतक के लापता होने के बाद फिरौती की कोई मांग नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364(क) के तहत अभियुक्तों की संलिप्तता नहीं पाई गई। (पैरा 28)

जहां तक धारा 302 और 201 आईपीसी के आरोपों की बात है, इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि मृतक की हत्या किसने की, उसे कैसे गायब किया गया, किस माध्यम से और कहाँ पर। जांच अधिकारी मृतक (सूचना प्रदाता के पुत्र) का शव बरामद करने में असफल रहा। इस तथ्य के प्रमाण के अभाव में, पुलिस के समक्ष दिए गए किसी सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं हो सकता। (पैरा 29)

जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसने आरोपी के कमरे की जांच की, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मामले सूचना प्रदाता के पुनः बयान के आधार पर जांचा, लेकिन एफआईआर के अनुसार सूचना प्रदाता के बगीचे का निरीक्षण नहीं किया। इसके अलावा, सभी आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट ने सही माना कि पुलिस हिरासत में दिए गए सह-आरोपी के बयान, जिनसे कोई बरामदगी नहीं हुई, का कोई कानूनी प्रमाणिक मूल्य नहीं है। (पैरा 30)

आरोपियों के विरुद्ध सह-आरोपी के पुलिस हिरासत में दिए गए बयान के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, और यह बयान विधि की दृष्टि में, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत, कोई कानूनी महत्व नहीं रखता। (पैरा 31)

अभियुक्तों के विरुद्ध किसी प्रकार की शत्रुता या अपराध करने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। चूंकि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना था, इसलिए अभियुक्तों के अपराध को सिद्ध करने के लिए उद्देश्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती। (पैरा 32)

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विरोधाभासी और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए प्रतीत होते हैं, जिससे अभियोजन के खिलाफ निष्कर्ष निकलता है। अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला आरोपी के अपराध को पूर्ण रूप से स्थापित करती है। (पैरा 34)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 36)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति/समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह का

मौखिक निर्णय

(प्रति:माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

तारीख:08-01-2025

वर्तमान अपील को 05.09.2023 को पारित बरी/दोषमुक्ति करने के निर्णय को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो कि सत्र परीक्षण संख्या 46 वर्ष 2022, सीआईएस संख्या 46/2022 में मोतिहारी के पूर्व चंपारण के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- XII द्वारा दिया गया था, जो अदापुर (हरपुर) पी.एस. केस संख्या 182 वर्ष 2021 से उत्पन्न हुआ। अपील के तहत दिए गए निर्णय से, अभियुक्त/आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए), 302, 201, 120 (बी)/34 के तहत आरोपों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे लोगों को बरी कर दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, सूचक-अपीलकर्ता अनिल कुमार पांडे की लिखित रिपोर्ट के अनुसार 03.07.2021 को लगभग 1:00 पी. एम./बजे उनका लगभग 12 साल का बेटा जय किशोर पांडे (मृतक) अपने बगीचे में खेल रहा था। इस बीच, सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसे बुलाया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया। जब मुखबिर का बेटा शाम तक नहीं लौटा, तो उसने सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) से अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि कुंदन सिंह नामक व्यक्ति ने सतेंद्र महतो को अपनी मोटरसाइकिल पर जय किशोर पांडे (मृतक) को ले जाते देखा था। यह आरोप लगाया जाता है कि एक महीने पहले भी आरोपी सत्येंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) उसके बेटे को ले गया था और शाम को उसे वापस ले आया था। मुखबिर-अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया कि सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) पिछले 10 दिनों से उसके बेटे का पीछा कर रहे थे और उसका अपहरण करने में सफल रहे।

3. मुखबिर-अपीलार्थी के लिखित आवेदन के आधार पर, पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 365 के तहत अपराधों के लिए 2021 का अदापुर पी. एस. मामला संख्या 182 दिनांक 05.07.2021 को दर्ज किया।

4. जाँच के बाद, पुलिस ने सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 2), सत्येंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) और निशांत कुमार उर्फ डबलू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए), 301, 201, 120 (बी)/34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया और निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) के खिलाफ जाँच जारी रखी। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए),

302,201,120 (बी)/34 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया। अभियुक्त सत्येंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3), सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 2 और निशांत कुमार उर्फ डबलू के खिलाफ दिनांक 10.12.2021 के आदेश के अनुसार मामला आगे बढ़ा/जारी रहा। यह मामला 23.12.2021 को सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

5. अभियुक्त निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) के रिकॉर्ड को विभाजित/अलग किया गया था। जाँच के बाद, जाँच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए), 302,201,120 (बी)/34 के तहत निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) के खिलाफ पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मोतिहारी ने दिनांकित 03.11.2022 के आदेश के माध्यम से उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और उसके बाद, मामला 05.11.2022 पर सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. निशान कुमार उर्फ डबलू का केस रिकॉर्ड जे. जे. बी., मोतिहारी को दिनांकित 24.08.2022 के आदेश के माध्यम से भेजा गया है, जबकि अंतिम बहस के समय, 2022 के सत्र परीक्षण संख्या 1214 (निरोध मियां उर्फ नूर होदा) को दिनांकित 21.06.2023 के आदेश के माध्यम से 2022 के वर्तमान सत्र परीक्षण संख्या 46 के साथ मिला दिया गया है।

7. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपों के बारे में समझाया जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया। मुकदमा/विचारण पूरा होने के बाद, विद्वत ट्रायल कोर्ट/परीक्षण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थियों को पूरे/सभी आरोपों से बरी/मुक्त कर दिया।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने जघन्य अपराध किया है और गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य/दृष्टिकोण में विश्लेषण नहीं किया है और यह विचार करने में विफल रहा है कि फिरौती की मांग करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि अभियुक्त सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपने उच्च स्वर/ऊँची आवाज के कारण 03.07.2021 की रात में मजबूर/बाध्य करने वाली परिस्थितियों में पीड़ित की हत्या कर दी थी। अभियुक्त व्यक्तियों ने पुलिस के समक्ष मुखबिर के बेटे की हत्या के बारे में भी कबूल किया है, जिसे विद्वत निचली अदालत/विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है।

9. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। घटना के स्थान और घटना के तरीके पर बड़ा विरोधाभास है और गवाहों ने आगे यह स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और

कथित अपहरण के बाद फिरौती की कोई मांग नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष उस उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में बहुत आवश्यक है।

10. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों (प्रत्यर्थियों) के खिलाफ मामले को निचली अदालत/विचारण न्यायालय के समक्ष सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

(ii) क्या विवादित निर्णय स्थायी और कानून की नजर में मान्य है या किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

11. अपीलार्थी, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील और राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना और मामले के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया।

12. दिनांक 5 सितंबर, 2023 के विवादित फैसले के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी (प्रतिवादी संख्या 2 से 4) पर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए), 302, 201, 120 (बी)/34 के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया है, जो अदापुर (हरपुर) पी.एस. केस संख्या 182 वर्ष 2021 से संबंधित है।

13. शुरू में, यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तो किसी फिरौती की मांग के लिए कोई सबूत है और न ही आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा अपराध करने का कोई मकसद/उद्देश्य बताया गया है और न ही मृतक का शव बरामद किया गया है।

14. इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पूरे मामले का मूल्यांकन और सराहना की गई है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों का निर्णय करने का सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों/निर्णयों में निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में हम कुछ निर्णयों का हवाला दे सकते हैं।

15. ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 में रिपोर्ट किया गया, हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी/अवलोकन की थी:

“12. यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहाँ साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए

और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन/सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।”

16. इस संदर्भ में, हम 1984 ए. आई. आर. 162 में रिपोर्ट किए गए शरद बिर्धिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुनहरे सिद्धांतों को उद्धृत करने के लिए लुभाए जाते हैं/प्रेरित होते हैं। फैसले/निर्णय के पैरा 153 और 154 को नीचे निकाला गया है:

“153. इस निर्णय का एक करीबी/बारीकी विश्लेषण करने से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'हो सकता है' स्थापित नहीं की जा सकती हैं। 'साबित किया जा सकता है' और 'अवश्य होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (') में अभिनिर्धारित किया गया था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।”

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, जब हम मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण और बारीकी से सराहना करते हैं, तो हम वर्तमान मामले में निम्नलिखित तथ्यात्मक विसंगतियाँ, विसंगतियाँ, विरोधाभास, अलंकरण और अतिशयोक्ति पाते हैं।

18. अभियोजन पक्ष के मामले यानी एफ. आई. आर. के अनुसार, घटना की कथित तारीख यानी 03.07.2021 को लगभग 1:00 पी. एम./बज, सूचना देने वाले/सूचक का बेटा जय किशोर पांडे, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, बगीचे में खेल रहा था। इस बीच आरोपी सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) आया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया। मुखबिर के ग्रामीण कुंदन सिंह ने आरोपी सतेंद्र महतो को मुखबिर के बेटे को मोटरसाइकिल पर ले जाते देखा था। लिखित रिपोर्ट में दिए गए उपरोक्त आरोप के आधार पर, एकमात्र आरोपी सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था।

19. सूचना देने वाले/सूचक/मुखबिर से मुकदमे/विचारण के दौरान पीडब्लू 1 के रूप में पूछताछ की गई है जिसमें उसने बयान दिया है कि कथित तिथि और घटना के समय यानी लगभग 1:00 पी. एम. /बजे चार अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3), निशांत कुमार उर्फ डबलू निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) और सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 2) उसके छोटा बेटा जय किशोर पांडे (मृतक) से उसके बगीचे में बात कर रहे थे, जबकि उस समय, उसका बेटा वहाँ खेल रहा था। उन्होंने अपने बेटे को जाकर खाना खाने के लिए कहा। खाना लेने के बाद उनका बेटा बैठक गया और खाना खाने चला गया। उसने आगे बयान दिया है कि कुंदन, जियाउल और चंदन ने उसे बताया कि सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3), निशांत कुमार उर्फ डबलू निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) और

सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 2) उसके बेटे को मोटरसाइकिल पर ले गए हैं। अतः साक्ष्य और एफ. आई. आर. के बीच, घटना के स्थान और घटना के तरीके में स्पष्ट गंभीर विसंगति और विरोधाभास है। एफ. आई. आर. के अनुसार, एकमात्र आरोपी (सतेंद्र महतो) उसके बेटे को बगीचे से दूर ले गया, जबकि पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपने साक्ष्य से मुखबिर ने बयान दिया है कि उसके बेटे को चार आरोपी व्यक्तियों द्वारा बैठक से दूर ले जाया गया था।

20. एफ. आई. आर. के अनुसार, सूचना देने वाले को उपरोक्त तथ्य के बारे में कुंदन सिंह से पता चला, जबकि पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपने स्वयं के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कुंदन, जियाउल और चंदन नामक तीन व्यक्तियों ने उपरोक्त घटना के बारे में खुलासा किया। यह कहना भी प्रासंगिक है कि एफ. आई. आर. के अनुसार एकमात्र गवाह कुंदन सिंह से अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई है।

21. सूचना देने वाले ने जिरह में आगे कहा कि उसने अपना एफ. आई. आर. एक बिजली यादव से लिखवाया और उसे पढ़ा और उसे सही पाया और फिर उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कुंदन सिंह के खुलासे के अनुसार सभी अभियुक्त व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया है, लेकिन कहा कि इस मामले में कुंदन सिंह से पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, एफ. आई. आर. और सूचना देने वाले के साक्ष्य के बीच घटना के स्थान और घटना के तरीके के बिंदु पर बड़ा विरोधाभास और अलंकरण है।

22. इस संदर्भ में, पी. डब्ल्यू. 2 जियाउल हक अंसारी का साक्ष्य भी प्रासंगिक है, जिन्होंने गवाही दी थी कि कथित घटना की तारीख और समय पर वह जय किशोर पांडे (मृतक), कुंदन सिंह और अन्य के साथ सूचना देने वाले के बगीचे में खेल रहे थे। इस बीच सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3) पैदल वहाँ आया और जय किशोर पांडे (मृतक) को ले गया और तब से कहा कि जय किशोर पांडे (मृतक) वापस नहीं आया। उन्होंने यह बयान नहीं दिया है कि आरोपी पीड़ित को किसी मोटरसाइकिल पर ले गया था।

23. पीडब्लू 8 अंजलि कुमारी उर्फ अंजलि पांडे, जो सूचना देने वाली की बेटी है, ने बयान दिया है कि कथित घटना की तारीख और समय पर, वह और उसका भाई जय किशोर पांडे (मृत) बंगले में पढ़ रहे थे। इस बीच, सतेंद्र महतो (प्रतिवादी संख्या 3), निशांत कुमार उर्फ डबलू निरोध मियां उर्फ नूर होदा (प्रतिवादी संख्या 4) और सुभान अंसारी (प्रतिवादी संख्या 2) ने सड़क से उसके भाई को बुलाना शुरू कर दिया। उसका भाई (मृतक) वहाँ गया और वे उसे ले गए। यह तथ्य मुखबिर द्वारा अपने एफ. आई. आर. में या अपने साक्ष्य में नहीं कहा गया है कि घटना की कथित तिथि और समय पर, जब आरोपी उसके बेटे को ले गया था, तो उसकी बेटी उसके बेटे के साथ पढ़ रही थी। इसके विपरीत, उसने बयान दिया है कि उसका

बेटा बगीचे में खेल रहा था जब आरोपी उसे ले गया। उन्होंने घटना की कथित तिथि और समय पर अपनी बेटी (प्रतिवादी संख्या 8) की उपस्थिति के बारे में कहीं नहीं कहा है।

24. इस संदर्भ में पी. डब्ल्यू. 7 परमेश्वर पांडे का साक्ष्य भी प्रासंगिक है जो सूचना देने वाले का अपना बड़ा भाई है। उसने बयान दिया है कि घटना की कथित तिथि और समय पर, सूचना देने वाला अकेले बगीचे में खेल रहा था जब चार आरोपी व्यक्ति वहाँ आए और उसे ले गए।

25. अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है। आई. पी. सी. की धारा 364 (ए) इस प्रकार है:

“जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा या इस तरह के अपहरण या व्यपहरण के बाद किसी व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देगा, या अपने आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति कारित करेगा जिससे कि सरकार को या किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी लगाया दंडनीय होगा।

26. इस प्रकार, धारा 364 (ए) आई. पी. सी. के तहत आवेदन को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को पूरा किया जाना चाहिए।

- (i) किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण और उसे हिरासत/निरोध में रखना।*
- (ii) जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देना और फिरौती की माँग करना।*
- (iii) जब माँग पूरी नहीं होती है तो चोट या मृत्यु कारित करना।*

27. इस मामले में, अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने यह बयान नहीं दिया है कि अपहृत मुखबिर के बच्चे को कहीं भी या किसी विशेष स्थान पर हिरासत/निरोध में लिया/रखा गया था। यह भी रिकॉर्ड में नहीं आया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति द्वारा मुखबिर या उसके परिवार के सदस्यों से फिरौती की कोई माँग की गई थी।

28. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में एक ही परिवार से संबंधित पीडब्लू. 1, पीडब्लू. 6, पीडब्लू. 7 और पीडब्लू. 8 से पूछताछ की गई है जो सूचना देने वाले के बेटे, भाई और सूचना देने वाले की बेटी हैं। उन्होंने पूरे सबूत में कहीं भी फुसफुसाया नहीं है कि पीड़ित की रिहाई के संबंध में कहीं से भी फिरौती की माँग की गई थी। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहीं भी

अभियुक्त व्यक्तियों और मुखबिर के बीच किसी भी शत्रुता के बारे में नहीं कहा है। पी. डब्ल्यू. 6 ने पैरा 15 में अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी जानकारी में, आरोपी व्यक्तियों के परिवार और उसके परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और जय किशोर पांडे (मृतक) के लापता होने के बाद उसके परिवार से कभी फिरोती की मांग नहीं की गई थी। इसलिए यह तथ्य स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के तहत अपराध के लिए आरोपी/प्रतिवादियों की संलिप्तता को दूर करता है।

29. जहां तक आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 के तहत आरोपों का संबंध है, इस मामले में इस बात के सबूतों की पूरी कमी है कि पीड़ित की हत्या किसने की या उसे गायब कर दिया और किस तरीके से या किस जगह पर। पीड़ित (मुखबिर के बेटे) का शव जांच अधिकारी द्वारा बरामद नहीं किया गया है। इसलिए, इस तथ्य के प्रमाण के अभाव में, किसी भी सह-अभियुक्त के किसी भी तथ्य के बारे में पुलिस के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान अभियोजन मामले को साबित करने के लिए कोई काम नहीं करता है।

30. जांच अधिकारी, जिनसे पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में पूछताछ की गई है, ने बयान दिया है कि पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान के अनुसार, उन्होंने आरोपी के कमरे की जांच की और पूछताछ की, जहां कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला था। जांच अधिकारी ने पैरा 27 में यह भी बयान दिया है कि उसने सूचना देने वाले के पुनर्कथन/पुनः बयान के आधार पर इस मामले की जांच की थी। एफ. आई. आर. के अनुसार उसने मुखबिर के बगीचे का दौरा नहीं किया है। उसने पैरा 20 में यह भी बयान दिया है कि उसने सभी अभियुक्त व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया है। इसलिए, निचली अदालत ने सही माना है कि सह-अभियुक्तों के उस कबूलनामे को जो पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, जब वे पुलिस हिरासत में थे, जिसमें कोई वसूली नहीं हुई, इस मामले में कोई कानूनी साक्ष्य मूल्य नहीं रखता है।

31. गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अलावा अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ वस्तुतः कोई सबूत नहीं है, जिसे कानून की नजर में कोई कानूनी पवित्रता नहीं मिली है, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 को देखते हुए।

32. अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कथित घटना के पीछे कोई शत्रुता या उद्देश्य नहीं था। चूंकि इस मामले का निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किया जाना है, उद्देश्य परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने और पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य परिस्थितियों की

श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। इस प्रकार, इस मामले में उद्देश्य या शत्रुता की कमी अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाती है।

34. इसलिए, अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों का साक्ष्य की बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह स्पष्ट रूप से और सुस्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि घटना के तरीके और घटना के स्थान के बिंदु पर, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में अलंकरण, अतिशयोक्ति और महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। उपरोक्त सभी अलंकृत और अतिरंजित साक्ष्य अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाएंगे क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उन परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित नहीं किया है जिनसे अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है और पूरी तरह से स्थापित किया जाना है। इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने सभी उचित संदेहों से परे मामले को साबित नहीं पाते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को सही ढंग से बरी/मुक्त कर दिया है।

35. (2023) 9 एस. सी. सी. 581 में रिपोर्ट किए गए एच. डी. सुंदरा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, बरी/मुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '8.1' से '8.5' में व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम एक तैयार संदर्भ के लिए इसे यहाँ पुनः प्रस्तुत करते हैं:-

"8. इस अपील में, हमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील का फैसला करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित फैसले की वैधता और वैधता/कानूनीता पर विचार करने के लिए कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

" 8.1. अभियुक्त के बरी होने से निर्दोष होने की धारणा और मजबूत होती है।

8.2. अपीलीय अदालत, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने का हकदार है।

8.3. अपीलीय न्यायालय, साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने के बाद, बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था।

8.4 यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक और दृष्टिकोण भी संभव था और

8.5. अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकमात्र निष्कर्ष जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकता है वह यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।

36. ऊपर की गई उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से जो कुछ सामने आया है, हमें विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उससे अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, विवादित फैसले को बरकरार रखा जाता है और अपील खारिज कर दी जाती है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।